बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

68वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद/सेवा निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी है:–

सारणी – 01

क्र. सं.	विभाग/पद/संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
			अनारक्षित (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिला (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)					
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या											
1.	पुलिस उपाधीक्षक, **गृह विभाग (आरक्षी शाखा)**	Level -9	01	00	01	02	04	00	00	08	00	00	20 वर्ष	अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष
			01	00	01	00	00		00	02				
2.	जिला समादेष्टा, **गृह विभाग (विशेष शाखा)**	Level -9	01	00	00	00	00	00	00	01	00	00	20 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष
3. *	जिला अग्निशमन पदाधिकारी, **गृह विभाग (आरक्षी शाखा)**	Level -9	07	03	01	03	02	01	02	19	00	VI – 01	20 वर्ष	
			03	01	00	01	01		00	06				
4.	काराधीक्षक, **गृह विभाग (कारा)**	Level -9	00	00	00	01	00	01	00	02	00	00	22 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
5.	राज्य–कर–सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), **वाणिज्य–कर–विभाग**	Level -9	02	02	00	01	01	00	01	07	00	00	22 वर्ष	
			01	01	00	01	00		00	03				
6.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (बिहार निर्वाचन सेवा) **निर्वाचन विभाग**	Level -9	03	01	00	02	01	00	01	08	00	00	22 वर्ष	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष
			01	00	00	01	00		00	02				
7.	अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, **मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**	Level -9	10	04	00	02	01	01	02	20	00	OH - 01	22 वर्ष	
			02	01	00	01	00		01	05				
8.	श्रम अधीक्षक, **श्रम संसाधन विभाग**	Level -9	00	00	00	01	00	00	00	01	00	00	22 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
9.	नियोजन/जिला नियोजन पदाधिकारी, **श्रम संसाधन विभाग**	Level -9	02	01	00	00	00	00	00	03	00	00	22 वर्ष	
			01	00	00	00	00		00	01				
10.	प्रोबेशन पदाधिकारी, **गृह विभाग (कारा)**	Level -9	01	00	00	00	00	00	00	01	00	00	21 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
11.	सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, **सहकारिता विभाग**	Level -9	02	00	00	01	00	01	00	04	00	00	22 वर्ष	
			01	00	00	00	00		00	01				
12.	सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, **समाज कल्याण विभाग**	Level -9	02	00	00	02	01	00	00	05	00	00	22 वर्ष	
			01	00	00	01	00		00	02				
13.	ईख पदाधिकारी, **गन्ना उद्योग विभाग**	Level -9	01	00	00	00	01	00	00	02	00	00	22 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
14.	बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग	Level -9	02	00	00	00	00	00	00	04	00	00	22 वर्ष	
			00	01	00	00	01		00	02				
15.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, **श्रम संसाधन विभाग**	Level -7	17	02	00	06	07	00	03	35	01	DD - 01	21 वर्ष	
			05	01	00	02	01		01	10				
16.	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, **परिवहन विभाग**	Level -7	01	00	00	00	00	00	00	01	00	00	21 वर्ष	
			00	00	00	00	00		00	00				
17.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), **ग्रामीण विकास विभाग**	Level -7	04	02	00	00	00	00	01	07	00	00	21 वर्ष	
			01	00	00	00	00		00	01				
18.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, **पंचायती राज विभाग**	Level -7	20	05	01	03	07	00	04	40	01	VI – 01 MD - 01	21 वर्ष	
			05	02	00	01	02		01	11				
19.	राजस्व,अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**	Level -7	22	05	00	03	05	00	04	39	01	OH – 01 MD - 01	21 वर्ष	
			05	02	00	01	02		01	11				

20.	आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार आपूर्ति सेवा), **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**	Level -7	08	03	00	00	02	00	01	14	00	MD - 01	21 वर्ष	
			01	01	00	00	01		00	03				
21.	प्रखंड अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), **अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग**	Level -7	23	11	01	11	07	01	06	60	01	VI - 01 DD - 01	21 वर्ष	
			08	03	00	03	02		01	17				
Total :			**129**	**39**	**04**	**38**	**39**	**05**	**25**	**281**	**04**	VI – 03 DD – 02 OH – 02 MD - 03		
			36	**13**	**01**	**12**	**10**		**05**	**77**				

* क्र॰सं॰– 03 में वर्णित पद के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान से केवल विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री मान्य है।

नोटः– I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी हैः– VI – दृष्टि दिव्यांग, DD – मूक बधिर दिव्यांग, OH – चलन दिव्यांग, MD – मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग

II. **प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**

II. उक्त विज्ञापन के लिए भरे गये आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

टिप्पणीः 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

2. **शैक्षिक योग्यताः–**

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को :–

(i) सारणी – 01 में वर्णित क्रम संख्या 01 से 21 (क्र॰सं॰– 03 को छोड़कर) तक के पद के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से **स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा** में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

(ii) सारणी – 01 में वर्णित क्रम संख्या 03 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक (अग्नि अभियंत्रण) अथवा यांत्रिकी/ऑटोमोबाईल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के **कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।**

3. **आरक्षणः–**

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(C) **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**